(9)

पत्रांक 1/प्रा0आ0-03/2011/....765..../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

बाढ़ प्रवण जिले।

पटना-15, दिनांक- 10/3/11

विषय: संभावित बाढ़ 2011 के मद्देनजर टेन्ट क्रय करने के संबंध में।

महाशय,

राज्य में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण अनेक लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। उन विस्थापित होनेवाले परिवारों को सुरक्षित स्थलों पर राहत शिविर केन्द्रों में रखने का प्रशासनिक दायित्व हो जाता है। परंतु राहत शिविरों का निर्माण कर उन्हें रखने के लिए तुरंत टेन्ट की व्यवस्था संभव नहीं हो पाती है या होती भी है तो ऊँचे दरों पर व्यवस्था करनी पड़ती है।

2. अतएव यह आवश्यक है कि संभावित बाढ़ 2011 को देखते हुए पूर्व से ही टेन्टों की व्यवस्था कर ली जाए जिससे शिविरों/ मेगा शिविरों में बाढ़ एवं कटाव से विस्थापित लोगों को आश्रय/ शरण दिया जा सके। इस संबंध में विभाग ने निर्णय लिया है कि निम्नांकित जिलों द्वारा अपने साथ संबद्ध सभी जिलों के लिए निविदा आमंत्रित कर टेन्टों का क्रय किया जाए:-

क्र0	नोडल जिला का नाम	संबंधित जिला
1	दरभंगा	समस्तीपुर, दरभंगा
2	मुजफ्फरपुर	शिवहर, पूर्वी एवं प0 चम्पारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी
3	गोपालगंज	सारण, सिवान, गोपालगंज
4	मधुबनी	मधुबनी
5	मधेपुरा	सहरसा, मधेपुरा, सुपौल
6	पूर्णियाँ	किशनगंज, पूर्णियां, अररिया, कटिहार
7	बेगूसराय	खगड़िया, बेगूसराय

8	भागलपुर	भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा
9	पटना	नालंदा, भोजपुर, पटना एवं बक्सर

3. नोडल जिले क्रय किए जाने वाले टेन्टों की संख्या का निर्धारण इस प्रकार से करेंगे ताकि प्रत्येक संबद्ध जिले में 500-500 व्यक्तियों के आवास योग्य 2-2 मेगा कैम्पों का निर्माण आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके। इसके लिए वे भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभिंयता से सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।

4. राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल से टेन्टों के साईज के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी है जो संलग्न है। इससे ज्ञात होगा कि प्रत्येक टेन्ट की साईज क्या हो सकती है।

5. अतएव नोडल जिलों से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र निविदा आमंत्रित कर क्रय समिति के माध्यम से दर निर्धारित करते हुए टेन्टों का क्रय दिनांक 31 मई, 2011 तक सुनिश्चित किया जाए।

6. निविदा के उपरांत दर निर्धारित कर क्रय हेतु राशि का आकलन कर फैक्स के माध्यम से नोडल जिलों द्वारा राशि की मांग की जाएगी ताकि उन्हें ससमय राशि आबंटित की जा सके।

7. इस प्रकार क्रय किए गए टेन्टों का भंडारण नोडल जिलों के जिला पदाधिकारी अपने जिले में निरापद स्थान पर करेंगे। बाढ़ की स्थिति में विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में टेन्ट भंडार में से आवश्यक टेन्ट संबद्ध/अन्य जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। परंतु बाढ़ समाप्ति के उपरांत टैन्ट पुनः नोडल जिलों को वापस लौटा दिए जाएंगे।

8. क्रय किया गया टेन्ट नोडल जिलों की सम्पत्ति होगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर)
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ......765....../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 10/3/11

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
(व्यास जी)

D:\2011\draft\टेन्ट 10.3.11.doc